"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जुलाई 2017 — आषाढ़ 31, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

अधिसूचना
सं. 15/2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-54/2017/वाक/पांच (98). — राज्य कर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।

   (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में, -

   (i) नियम 44 में,-

   (क) उपनियम (2) में "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" शब्दों के स्थान पर " केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे;

   (ख) उपनियम (6) में "आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी.", शब्दों स्थान पर " केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) नियम 96 में,-

   (क) उपनियम (1) के खंड (ख) और उपनियम (3) में, "प्ररूप जीएसटीआर 3", शब्दों और अंकों के स्थान पर " यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख;" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

   (ख) नियम 96 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   "96क. बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय- (1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के

प्रदाय के विकल्प का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को,--

(क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या

(ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए,

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11** में बंधपत्र या परिवचन पत्र देगा ।

(2) सामान्य पोर्टल पर दिए गए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में अंतर्विष्ट निर्यात बीजकों के ब्यौरे इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह संपुष्टि कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, इलैक्ट्रोनिक रूप से, उक्त सिस्टम से सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी ।

(3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 79 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की वसूली की जाएगी ।

(4) उप नियम (3) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा ।

(6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे ।"

(iii) नियम 117 में, उपनियम (1) में "पृथक् रूप से" शब्दों के पश्चात् "धारा 140 के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के" शब्द और अंक अंतःस्थापित जाएंगे;

(iv) नियम 119 की शीर्षक में "अभिकर्ता" शब्द के स्थान पर "जॉब वर्कर" शब्द रखे जाएंगे ।

(v) नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अध्याय 17

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

139. **निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण** -- (1) जहां किसी समुचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01** प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा ।

(2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां समुचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आईएनएसए-02** में अभिग्रहण का आदेश करेगा ।

(3) समुचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसासे माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा ।

(4) जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है वहां समुचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03** में ऐसे प्रतिषेध आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या

उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्रवाई करेगा ।

(5) माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल, जहां कहीं लागू हो, के साथ-साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है ।

140. **अभिगृहीत माल के निर्मोचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति** -- (1) अभिगृहीत माल को, **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-04** में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्मोचित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "लागू कर" के अंतर्गत, माल और सेवाएं (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा उपकर, यदि कोई हो, भी है ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्मोचन किया गया था, समुचित अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नकद में ली जाएगी और उसे संदेय कर, ब्याज और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के प्रति समायोजित किया जाएगा ।

141. **अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया** -- (1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है और यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, ब्याज और शास्ति की रकम का, जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर **प्ररूप जीएसटी आई एनएस-05** में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया जाएगा ।

(2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा ।

अध्याय 18

मांग और वसूली

142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश -- (1) समुचित अधिकारी,--

(क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में, या

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02** में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ।

(2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहां वह समुचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और समुचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04** में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्वीकृति जारी करेगा ।

(3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील होने के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है वहां वह समुचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05** में आदेश जारी करेगा ।

(4) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यवेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06** में होगा ।

(5) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा (76) की उपधारा (3) के अधीन जारी संक्षिप्त विवरण को इलैक्ट्रोनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में, उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपलोड किया जाएगा ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली की सूचना के रूप में माना जाएगा ।

(7) समुचित अधिकारी द्वारा, धारा 161 के उपबंधों के अनुसार परिशुद्धि का आदेश **प्ररूप जीएसटीडीआरसी-08** में दिया जाएगा ।

143. **किसी ऋणग्रस्त रकम से कटौती द्वारा वसूली** -- जहां अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में "व्यतिक्रमी" कहा गया है) संदेय की रकम संदत्त नहीं की जाती है, वहां समुचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-09** में विनिर्दिष्ट अधिकारी से, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यतिक्रमी के प्रति किसी ऋणग्रस्त रकम से उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

144. **समुचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा वसूली** -- (1) जहां किसी व्यतिक्रमी से शोध्य कोई रकम, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा वसूल की जानी है वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और केवल उतने माल के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा जितना वसूली प्रक्रिया पर उपगत प्रशासनिक व्यय के साथ संदेय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित हैं ।

(2) उक्त माल का, नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिसके लिए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10** में विक्रय किए जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी ।

(3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी ।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभवना है, वहां समुचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

(4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा ।

(5) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11** में नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा । बोली की पूरी रकम के संदाय पर समुचित अधिकारी उक्त माल का कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12** में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(6) जहां व्यतिक्रमी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम का, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है संदाय कर देता है, वहां समुचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल निर्मोचित कर देगा ।

(7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां समुचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुनः- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा ।

145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली -- (1) समुचित अधिकारी, धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "तृतीय व्यक्ति" कहा गया है) प्ररूप **जीएसटी डीआरसी** 13 में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा ।

(2) जहां तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहां समुचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 14 में ऐसे उन्मोचित दायित्व के ब्यौरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

146. किसी डिक्री, आदि, के निष्पादन के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम का किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में व्यतिक्रमी को संदेय है या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए है वहां समुचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी डीआरसी** 15 में उक्त न्यायालय को अनुरोध करेगा और न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्यधीन, संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वसूलीय रकम के परिनिर्धारण के लिए शुद्ध आगमों को जमा करेगा ।

147. जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूली -- (1) समुचित अधिकारी, व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की एक सूची तैयार करेगा, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थम् का आदेश जारी करेगा तथा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 16** में, ऐसी स्थावर और जंगम संपत्ति जो देय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित है, के संबंध में किसी संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा :

परन्तु कोई ऋण जो पराक्रम्य लिखत द्वारा, किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम संपत्ति द्वारा प्रतिभूत नहीं है, में किसी संपत्ति की कुर्की जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपत्ति से भिन्नि, नियम 151 में उपबंधित रीति से कुर्क की जाएगी ।

(2) समुचित अधिकारी, कुर्की या करस्थम् आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को, स्थावर या जंगम संपत्ति पर विल्लंगम रखने को भेजेगा जो केवल समुचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव के लिखित निदेशों पर हटाया जाएगा ।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन कुर्की या करस्थम् के अध्यधीन, कोई संपत्ति--

(क) स्थावर संपत्ति है, कुर्की या करस्थम् आदेश उक्त संपत्ति पर चिपकाया जाएगा और विक्रय की पुष्टि होने तक चिपका रहेगा ।

(ख) कोई जंगम संपत्ति है, वहां समुचित अधिकारी उक्त संपत्ति को इस प्रकार अधिनियम के अध्याय 14 के उपबंधों के उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करेगा और उक्त संपत्ति की अभिरक्षा या तो समुचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ली जाएगी ।

(4) कुर्की या करस्थम् की गई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अन्तर्गत ई-नीलामी भी है, जिसके लिए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 17** में सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए, जारी किया जाएगा ।

(5) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति, पराक्रम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वहां समुचित अधिकारी इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को उन्मोचन के लिए,

उसके कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को निक्षेप करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को करेगा ।

(6) समुचित अधिकारी, नीलामी में, भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा ।

(7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा ।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभवनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

(8) जहां कोई या आक्षेप किसी संपत्ति की कुर्की या करस्थम् के संबंध में इस आधार पर किया जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या करस्थम् के लिए दायी नहीं है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुल्तवी कर सकेगा ।

(9) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख को कुर्की या करस्थम् के अधीन प्रश्नगत संपत्ति में वह कब्जे में था या उसका कुछ हित था ।

(10) जहां अन्वेषण करने पर समुचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यतिक्रमी के या उक्त तारीख पर व्यतिक्रमी के कब्जे में होने के कारण यह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, समुचित अधिकारी का दावे या आक्षेप में कथित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी सम्पत्ति, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त तारीख को जो व्यतिक्रमी के कब्जे में थी, वह उसके स्वयं की या उसके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति नहीं थीं अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या भागतः उसकी स्वयं की और भागतः किसी अन्य व्यक्ति की थी, वहां समुचित अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को, पूर्णतः या ऐसे विस्तार तक, जो वह ठीक समझे, कुर्की या करस्थम् से निर्मोचन का अधिकार देगा ।

(11) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की

जिम्मेदारी पर, या उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी अन्य व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिभोग में था समुचित अधिकारी दावा नामंजूर करेगा और नीलामी के माध्यम से विक्रय की प्रक्रिया अग्रसर करेगा ।

(12) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी** 11 में सूचना, उससे अपेक्षा करते हुए कि रकम का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर करे, जारी करेगा और जब उक्त संदाय हो जाता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी 12 में संपत्ति के ब्यौरे, अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ब्यौरे और संदत्त रकम, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संपत्ति में अधिकार, हक और हित अंतरित समझे जाएंगे :

परन्तु जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से एक संपत्ति का सहस्वामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा।

(13) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतरण के संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सरकार को संदत्त की जाएगी जिसे ऐसी संपत्ति में हक अंतरित किया जाता है ।

(14) उपनियम (4) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यतिक्रमी वसूली अधीन रकम का संदाय करता है, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी हैं, वहां समुचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करेगा और माल को निर्मोचित करेगा ।

(15) जहां कोई बोलियां प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की के कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां समुचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा ।

148. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध--कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विक्रय संपत्ति में किसी हित का अर्जन या हित अर्जन करने का प्रयास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा ।

149. अवकाश-दिन पर विक्रय करने का प्रतिषेध--इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत, रविवार या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन, जो सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, कोई विक्रय नहीं किया जाएगा ।

150. पुलिस द्वारा सहायता -- समुचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के भारसाधक-अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निवर्हन के लिए आवश्यक हो, मांग

सकेगा और उक्त भारसाधक अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा ।

151. ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की -- (1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम सम्पत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाए ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-16** में लिखित आदेश द्वारा,--

(क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जबतक कि समुचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ;

(ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से ;

(ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा ।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति समुचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी, और शेयरों के मामलों में, निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(3) उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय समुचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा ।

152. न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की — जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए ।

153. भागीदारी में हित की कुर्की -- (1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति में, व्यतिक्रमी का किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर एक हित सम्मिलित है, वहां समुचित अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन, शोध्य राशि के ऐसे संदाय के साथ भागीदारी सम्पत्ति में ऐसे भागीदार के हिस्से और लाभों को प्रभारित करते हुए एक आदेश कर सकेगा और उसी या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा ऐसे लाभों जो पहले से ही घोषित हों या प्रोद्भूत हुए हैं और ऐसे अन्यधन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर शोध्य हो गए हों में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में रिसीवर

नियुक्त कर सकेगा, लेखा और जाँच के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा हो ।

(2) अन्य भागीदारों को किसी भी समय, प्रभारित हित का मोचन करने या विक्रय का निदेश किए जाने की दशा में, उसका क्रय करने की स्वतंत्रता होगी ।

154. माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन -- किसी व्यतिक्रमी से शोध्य की वसूली के लिए, माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें,--

(क) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;

(ख) तत्पश्चात् वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;

(ग) तत्पश्चात् अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या किसी राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ; और

(घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ।

155. भू-राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां समुचित अधिकारी जिले के कलक्टर या उपायुक्त को या प्ररुप जीएसटीडी आरसी-18 में इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में, विनिर्दिष्ट रकम की सम्बंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व की बकाया रकम थी ।

156. न्यायालय के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जानी है जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां समुचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबन्धों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष **प्ररूप जीएसटीडी आरसी-19** में सम्बंधित व्यक्ति से तद्वीन विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो ।

157. प्रतिभू से वसूली -- जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोध्य रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो ।

158. किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय -- (1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शोध्य करों या किसी रकम के संदाय के लिए समयावधि के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-20**, में इलैक्ट्रोनिकली आवेदन फाइल किए जाने पर, आयुक्त, उक्त रकम का संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की माँग करेगा ।

(2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और/या रकम का ऐसी मासिक किस्तों में, जो चौबीस से अनधिक हो, जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-21** में एक आदेश जारी कर सकेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधा, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां--

(क) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है ;

(ख) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है ;

(ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की ईप्सा की गई है, पच्चीस हजार रुपयों से कम है ।

159. सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की -- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-22** में तद्धीन सम्पत्ति जो कुर्की की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा ।

(2) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति सम्बंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विल्लंगम रखे, जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा ।

(3) जहां कुर्की की गई सम्पत्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है, और यदि कराधेय व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का

संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है जो कराधेय व्यक्ति पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पत्ति, संदाय के सबूत पर, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-23** में एक आदेश द्वारा तुरंत निर्मुक्त की जाएगी ।

(4) जहां कराधेय व्यक्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम, कर, ब्याज, शस्ति, शुल्क या कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी ।

(5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्की की गई है, कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा कि कुर्की की गई सम्पत्ति कुर्की किए जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपत्ति फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-23** में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा ।

(6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पत्ति कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं थी या है, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-23** में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा ।

160. समापनाधीन कंपनी से वसूली -- जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयुक्त, कर, ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम की वसूली के लिए **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-24** में समापक को अधिसूचित करेगा ।

161. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना -- धारा 84 के अधीन किसी माँग में कमी या वृद्धि के लिए आदेश **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-25** में जारी किया जाएगा ।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियाँ

162. अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया -- (1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन **प्ररुप जीएसटीसी पीडी-01** में, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा ।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा ।

(3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् **प्ररुप जीएसटीसीपीडी-02** में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नमंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जब तक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है ।

(6) आवेदक उप नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा ।

(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उप नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा ।

(8) किसी व्यक्ति को उप नियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियाँ छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी ।

(vi) "प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10" निम्नलिखित के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-11"।"

प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01
[नियम 89(1) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन – रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
2. विधिक नाम :
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
4. पता :
5. कर अवधि : <दिन/मास/वर्ष> से <दिन/मास/वर्ष>
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें) :

(क) इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिरिक्त अतिशेष :

(ख) सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय सहित :

(ग) माल/सेवाओं का निर्यात-- कर के संदाय के बिना उदरहणार्थ, संचित इनपुट कर प्रत्यय

(घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण—

(i) आदेश के प्रकार चयन :

निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/ अन्य

(ii) निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करें ,--

1. आदेश संख्या ;
2. आदेश की तारीख <कलेंडर>
3. आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)

(यदि आदेश सिस्टम के भीतर जारी किया जाता है, तो 2,3,4 स्वतः वासित)

(ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित (धारा 54(3)) के परन्तुक के खंड (ii)

(च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर—

(प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें)

1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदाय
2. विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को प्रदाय
3. माने गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता ।

(छ) विशेष आर्थिक जोन युनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय पर संचित इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय

(ज) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है ।

(झ) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए ।

(ञ) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो

(ट) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित)

(क) बैंक खाता संख्या :

(ख) बैंक का नाम :

(ग) बैंक खाता प्रकार :

(घ) खाता धारक का नाम :

(ङ) बैंक शाखा का पता :

(च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) :

(छ) मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन (एमआईसीआर) :

9. क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्व घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो

हां ☐ नहीं ☐

घोषणा

मैं तदनुसार घोषणा करता हूं कि निर्याततित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि माल या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्य नहीं है और कि मैंने प्रदाय पर

संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए दावा निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा

मैं/हम...................... (आवेदक) जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी.......... सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि .... से .... तक के लिए कर, ब्याज, यो कोई अन्य रकम के बारे में .... रुपए के लिए उसकी कोटि प्रतियां की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

(इस घोषणा का ऐसे आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन्होंनें धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है) ।

10 सत्यापन

मैं/हम .... (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस मद्दे कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान

तारीख

प्राधिकारी का हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 1:

(उपाबंध-1)

प्रतिदाय प्रकार : विपरीत क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के परंतुक के खंड (*ii*)]

भाग क: जावक प्रदाय

(जीएसटी आर-1 : सारणी 4 और 5) :

जीएसटीआईएन/यूआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग क : आवक प्रदाय :

जीएसटी आर-2 : सारणी 3 (मिलाए गए बीजक) :

................कर अवधि

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	क्या इनपुट या इनपुट सेवा/पूंजीमाल (जिसके अंतर्गत प्लांट और मशीने हैं)/आटीसी के लिए अपात्र हैं	उपलब्ध आटीसी की रकम			
	सं0	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पण: डाटा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वत: भरा जाएगा

कथन 2:

प्रतिदाय का प्रकार :

कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी - 6क और सारणी -9)

1.

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर			बीआरसी/एफआईआरसी		संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर =(11/8)+12 -13
	सं0	तारीख	मूल्य	एसएसी	दर	कराधेय कर	रकम	संख्यां	तारीख				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6क. निर्यात													

बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे, आज्ञापक है–सेवाओं के मामले में)

कथन 3:

परिदाय का प्रकार:

कर के संदाय के बिना निर्यात-संचित आईटीसी

(जीएसटीआईआर-1: सारणी 6क)

1.

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे							पत्तन कोड			एकीकृत कर			इजीएम ब्यौरे		बीआरसी/फआईआरसी	
	सं0	तारीख	मूल्य	माल/सेवा (मा/से)	एचएसएन/एसएसी	यूक्यूसी	परिमाण	संख्यां	तारीख	कोड	दर	कराधेय मूल्य	रकम	संदर्भ सं0	तारीख	सं0	ता0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6क. निर्यात																	

टिप्पण-1. पोत परिवहन पत्र और ईजीएम आज्ञापक है – माल के मामले में ।

2. बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है – सेवाओं के मामले में।

कथन 4:

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय

प्रतिदाय का प्रकार :

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के कारण या प्राप्तिकर्ता के समझे गए निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी 6ख और सारणी 9)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			पोत परिवहन पत्र /निर्यात पत्र		एकीकृत कर			संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर =(10/9)+11-12
	सं0	तारीख	मूल्य	संख्यां	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6ख. विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किया गया प्रदाय												

(जीएसटीआर-1 : सारणी 5 और सारणी 8)

जीएसटीआईएन/यूआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर =(12/7)+13-14
	सं0	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कथन 5

समझे गए निर्यात आदि का प्राप्तिकर्ता

(जीएसटीआर 2: सारणी 3 और सारणी 6)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	क्या इनपुट या इनपुट सेवा/पूंजीमाल (जिसके अंतर्गत प्लांट और मशीने हैं)/आटीसी के लिए अपात्र हैं	उपलब्ध आईटीसी की रकम				संशोधित मूल्य (आईटीसी एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट आईटीसी एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र आईटीसी एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध आईटीसी एकीकृत कर =(17/7)+ 18-19
	सं0	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

कथन 6:

प्रतिदाय का प्रकार : अंतःराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जो तत्पश्चात् अंतरराज्यिक प्रदाय के रूप में धारित है और विपर्ययेन

आदेश के ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई है):

जीएसटी आईएन/ यूआईएन नाम (बी 2 सी के मामले में)	राज्यांतरिक/अन्तरराज्यिक के पूर्व के रूप में विचारणीय अच्छादित संव्यवहार बीजक के ब्यौरे									संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे				
	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्रास्थिति से भिन्न)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्रास्थिति से भिन्न)
	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम		रकम	रकम	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कथन:7

प्रदाय का प्रकार : कर का अधिक संदाय, यदि कोई टर्मिनल विवरणी फाइल करने की दशा में

(करदाता की दशा में जिसने जीएसटीआर विवरणी फाइल की है - सारणी 12)

क्रम सं.	कर अवधि	विवरणी की संदर्भ सं0	विवरणी फाइल करने की तारीख	संदेय कर			
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... कर अवधि के लिए..........................माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी, मैसर्स.................................... (आवेदक का नाम) द्वारा ....(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा विशेष रुप से अनुरुक्षित/दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थान :

तारीख :

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी - 02

[नियम 90(1), 90(2) और 95(2) देखें]

अभिस्वीकृति

प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का<आवेदन संदर्भ संख्या> के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया है।

अभिस्वीकृति संख्या :

अभिस्वीकृति की तारीख:

जी एसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आई डी, यदि लागू हो :

आवेदक का नाम:

प्ररुप सं. :

प्ररुप विवरण:

अधिकारिता (समुचित निशान लगाएं) :

केन्द्रीय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र :

द्वारा भरा गया

प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा	
कर अवधि	
फाइल करने की तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए कारण	

दावाकृत प्रतिदाय की रकम

	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेवा कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

टिप्पण 1 : आवेदन की प्रास्थिति जीएसटी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय> के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है ।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -04

/नियम 91(2) देखें/

मंजूरी आदेश सं. : तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में

__________ (माल और सेवा कर पहचान संख्या

__________ (नाम)

__________ (पता)

अनंतिम प्रतिदाय आदेश

प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन)............तारीख .... तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

अभिस्वीकृति सं......................तारीख.................. <दिन /मास /वर्ष >

महोदय /महोदया,

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित रकम अनंतिम आधार पर आपको स्वीकृत की जाती है :

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	ऐकीकृत कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	दावाकृत रकम का 10% प्रतिदाय के रुप में (बाद में स्वीकृत किया जाएगा)				
(iii)	बकाया रकम (i-ii)				
(iv)	स्वीकृत प्रतिदाय की रकम				
	बैंक विवरण				
(v)	आवेदन के अनुसार बैक खाता संख्या				
(vi)	बैंक का नाम				
(vii)	बैक /शाखा का पता				
(viii)	आई एफ एस सी				
(ix)	एम आई सी आर				

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05

/नियम 91*(3)*, 92(4), *92(5)* और 94 देखें/

संदाय परामर्श

संदाय परामर्श सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में, <**केन्द्रीय**> **पीएओ/खजाना/आरबीआई/बैंक**

प्रतिदाय स्वीकृति आदेश सं.. ....

आदेश तारीख......<दिन /मास /वर्ष >..........

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी <>

नाम: <>

प्रतिदाय रकम (आदेश के अनुसार) :

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल
स्वीकृत शुद्ध प्रतिदाय की रकम																								
लंबित प्रतिदाय पर ब्याज																								
कुल																								

टिप्पण-कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"

	बैंक के ब्यौरे	
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या	
(ii)	बैंक का नाम	
(iii)	बैंक/शाखा का नाम और पता	
(iv)	आईएफएससी	
(v)	एमआईसीआर	

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

सेवा में

....................................(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी)

................................(नाम)

....................................(पता)

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06

/नियम 92 (1), *92(3)*, 92(4), 92(5) और 96(7) देखें/

आदेश सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

.... (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी)

.................................(नाम)

...............................(पता)

कारण बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)

अभिस्वीकृति संख्या .... तारीख:......<दिन /मास /वर्ष >..........

मंजूर किया गया प्रतिदाय/अस्वीकृत आदेश

महोदय/महोदया,

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में /*प्रतिदाय पर ब्याज*/

<<प्रतिदाय मंजूर करने या नमंजूर करने के कारण, यदि कोई हो>>

आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम बकाया (जहां लागू है) के समायोजन के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है :-

*जहां लागू न हो उसे काट दें

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल
1. दावाकृत प्रतिदाय/ ब्याज* की रकम																								
2. अंनितम आधार पर स्वीकृत प्रतिदाय (आदेश सं0....तारीख) सं0....तारीख)(यदि																								

परादेय मांग पर समायोजित रकम (यदि कोई है) मांग आदेश संख्या...., अधिनियम अवधि<संभव बहु पंक्तियां- दी गई पंक्तियां जोड़ें>																								
6. शुद्ध संदत्त रकम																								

टिप्पण-कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"

*जो लागू *न हो उसे काट दें ।*

&1. मैं, अधिनियम@ की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स.............................को आई एन आर.............की रकम की मंजूरी देता हूं ।

@जो लागू न हो उसे काट दें।

(क) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया गया है

(ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया गया है ।

(ग) ....रुपए की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया है और शेष................रुपए की रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर दिया गया है ।

#जो लागू न हो उसे काट दें ।

या

&2 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि को आई एन आर.....................की रकम जमा करता हूं ।

&3 मैं, अधिनियम की धारा (.............) की उपधारा (.....) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स...........................को आई एन आर.............की रकम को निरस्त करता हूं ।

& जो लागू न हो उसे काट दें ।

मैं धारा 56 के अधीन आवेदक को प्रतिदाय की रकम की तारीख तक ब्याज के संदाय का आदेश देता हूं ।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07

/नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें/

संदर्भ सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

.... (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी सं.)

...................................नाम

................................(पता)

अभिस्वीकृति संख्या .... तारीख:......<दिन /मास /वर्ष >..........

स्वीकृत प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग - क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको स्वीकृत किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्रकर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय				
(iii)	अस्वीकृत अग्राह्य प्रतिदाय रकम <<कारण उल्लेख कीजिए >>				
(iv)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)				
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन बकाया मांग (आदेश सं............के अनुसार) के विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय मांग आदेश सं............ तारीख........... <बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>				
(vi)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य		शून्य

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रुप से समायोजित कर ली जाए । इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (.......) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है ।

या

भाग- ख

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

यह आपके ऊपर निर्दिष्ट प्रतिदाय आवेदन और मामले में दी गई सूचना/दस्तावेजों के संदर्भ में है । आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम निम्नलिखि कारणों से प्रतिधारित कर दी गई है :

प्रतिदाय आदेश सं. :						
आदेश दारी करने की तारीख:						
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्रकर	उपकर
i.	मंजूर प्रतिदाय की रकम				
ii.	रोके गए प्रतिदाय की रकम				
iii.	अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम				

प्रतिदाय रोकने के लिए कारण

<<पाठ>>

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई । यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.......) उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

/नियम 95(1) देखें/

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास आदि द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूआईएन :

2. नाम :

3. पता :

4. कर अवधि (तिमाही) : दिन /मास /वर्ष से ....तक

<दिन /मास /वर्ष >

5. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर ><शब्दों में>

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	

उपकर	
कुल	

6. बैंक खाते का ब्यौरा:

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक खाते का प्रकार

(ग) बैंक का नाम

(घ) खाता धारक / संचालक का नाम

(ङ) बैंक शाखा का पता

(च) आई एफ एस सी

(छ) एम आई सी आर

7. संदर्भ संख्या और दिए गए **प्ररुप जीएसटीआर-11** की तारीख

8. सत्यापन

मैं, ...>दुतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणी करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है ।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं ।

स्थान:

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11

[नियम 96क देखें]

माल या सेवाओं के निर्यात के लिए दिया गया बंधपत्र या परिवचन पत्र

1. जीएसटीआईएन				
2. नाम				
3. दिए गए दस्तावेज का प्रकार उपदर्शित करें			बंधपत्र ☐ परिवचन पत्र ☐	
4. दिए गए बंधपत्र का ब्यौरा				
क्रम सं0	बैंक गारंटी की संदर्भ संख्या	तारीख	रकम	बैंक का नाम और शाखा
1	2	3	4	5

टिप्पण : बैंक गारंटी और बंधपत्र की ठोस प्रति अधिकारिता अधिकारी को दी जाएगी ।

5. घोषणा-

(i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के निर्यात पर संदेय एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई हैं

(ii) मैं इसके अवसान से पूर्व बैंक गारंटी के नवीकरण का परिवचन पत्र करता हूं । मेरे/हमारे ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर संदाय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।

(iii) विभाग, माल या सेवा के निर्यात के संदर्भ में एकीकृत कर संदेय की रकम को आच्छादित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अवलंब करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति..............

तारीख.................

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र
(नियम 96क देखें)

मैं/हम....................इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों)" कहा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के प्रति.....................रू. ....की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्व आबद्ध हूं/हैं ।

इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकतः स्वयं को/अपने को और अपने हमारे क्रमिक वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं/तारीख..............को इस पर हस्ताक्षर किए गए ।

उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समय-समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ;

और बाध्यताधारी धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का निर्यात करने की वांछा रखता है/रखते हैं ;

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित.........................रूपए रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी ने आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे दी है ।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करें ;

और यदि सुसंगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है;

और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ब्याज सहित, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से, उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन का भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ;

और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, बैंक प्रत्याभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाने के लिए सक्षम होंगे ।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता व्यवसाय

(2) नाम और पता व्यवसाय

मैं आज, ...तारीख......................(मास) ....(वर्ष) को .... (पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं ।

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए परिवचनपत्र

(नियम 96क देखें)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है), समुचित अधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए

मैं/हम...................... निवासी ....(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पता), जिसका/जिनका माल और सेवा कर पहचान सं. .... है, इसमें इसके पश्चात् परिवचनकर्ता कहा जाएगा, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से स्वयं को/अपने को, मेरे/हमारे वारिसों, निष्पादकों/प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों सहित राष्ट्रपति के प्रति,--

(क) नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर एकीकृत कर का संदाय किए बिना माल और सेवाओं का निर्यात करने ;

(ख) माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करने ;

(ग) माल या सेवाओं के निर्यात करने में असफल होने पर एकीकृत कर का, बीजक की तारीख से संदाय की तारीख तक का ऐसे ब्याज सहित संदाय करने के लिए, जो संदत्त न किए गए कर की रकम पर अठारह प्रतिशत वर्षिक रकम के बराबर होगी,

आज तारीख .... को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह परिवचन ऐसी अधिनियमितियों के जिनमें जनताहितबद्ध है, अनुपालन के लिए समुचित अधिकारी के आदेश के अधीन दिया जाता है ।

इसके साक्ष्य स्वरूप परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता व्यवसाय

(2) नाम और पता व्यवसाय

मैं आज, ...तारीख......................(मास) ....(वर्ष) को .... (पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं ।

प्ररुप जीएसटी आईएनएस - 01

निरीक्षण और तलाशी के लिए प्राधिकरण

(नियम 139(1) देखें)

सेवा में,

....

....

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

चूंकि, मेरे समक्ष सूचना प्रस्तुत की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है कि...............................

अ. मैसर्स..

- माल और /या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- हस्तगत माल के स्टाक से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त निवेश कर प्रत्यय का दावा किया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त प्रतिदाय का दावा किया है
- इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन, उसके अधीन बनाये गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुग्रह किया है ;

या

आ. मैसर्स..

- माल के संदाय से बच निकलने के लिए माल परिवहन के कारबार में वचनबद्ध किया है
- कर के संदाय से बचने के लिए भांडागार या गोदाम या स्थान के स्वामी या प्रचालक द्वारा जहां माल का भंडार किया गया है
- इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन करने के लिए उस रीति में लेखा या माल को रखा गया है

या

अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जब्ती योग्य माल/ दस्तावेजों को कारबार/ आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है

<<परिसरों का ब्यौरे>>

इसलिए.—

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें ।

या

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन आगे की कार्यवाही के लिए उसे जब्त करके उसे प्रस्तुत करें ।

किसी व्यक्ति द्वारा भुलावा देने का, साक्ष्य को बिगाड़ने का, निरीक्षण/ तलाशी की प्रक्रिया के दौरान सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का कोई भी प्रयत्न, भारतीय दण्ड संहिता की दारा 179, 181, 191 और 418 सपठित अधिनियम के अधीन कारावास और/ या जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा ।

दिन................मास..............................20......वर्ष में मेरा हस्ताक्षर और मुद्रा। ....दिनों के लिए वैध ।

मुद्रा

स्थान

जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

निरीक्षण करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

(i)

(ii)

प्ररुप जीएसटी आईएनएस - 02

अभिग्रहण का आदेश

(नियम 139(2) देखें)

जबकि मेरे द्वारा, धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण/उपधारा (2) के अधीन तलाशी, तारीख .... /................./..................पूर्वान्ह/अपरान्ह को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया

<<परिसरों का ब्यौरे>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं

<<व्यक्ति का नाम>>

<< जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो >>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

1. **<< नाम और पता>>**
2. **<< नाम और पता>>**

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल और/या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं ।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित माल/पुस्तक/दस्तावेज और वस्तुओं को एतत् द्वारा अभिग्रहित करता हूं :

अ) अभिग्रहीत माल के ब्यौरे :

क्र.सं.	माल का वर्णन	मात्रा या ईकाई	मेक/चिन्ह या मॉडल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5